राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 4(22)ग्रावि/नरेगा/आधार/पार्ट–1/80830/2014 जयपुर, दिनांक : 3 APR 2017

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त राजस्थान।

विषयः– **महात्मा गांधी नरेगा श्रमिकों के आधार सीडिंग तथा इनका बैंक खाते के साथ लिंकेज (A.B.P.S.) के संबन्ध में मानक संचालन प्रकिया (Standard Operating Procedure) के संबन्ध में।**

संदर्भः– **ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार का पत्रांक दिनांक 14.03.2017**

महोदय,

महात्मा गांधी नरेगा श्रमिकों के **आधार नम्बर** को उनके **बैंक खाते से जोडे जाने (ए.बी.पी.एस.)** की प्रगति के संबन्ध में विभाग द्वारा पत्रों तथा विडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से लगातार समीक्षा की जाती रही है परन्तु फिर भी **आधार सीडिंग तथा ए.बी.पी.एस. के मध्य अभी भी बहुत बडा अन्तर** है। दिनांक 25.03.2017 की रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 93.10 लाख एक्टिव श्रमिकों के विरूद्व 79.84 लाख **(86 प्रतिशत) श्रमिकों के आधार नम्बर की सीडिंग** की जा चुकी है **परन्तु** केवल 41.22 लाख **(44 प्रतिशत) श्रमिकों को ए.बी.पी.एस.** से जोडा जा सका है जबकि रिपोर्ट के अनुसार 60.10 लाख **(65 प्रतिशत) सहमति पत्र** प्राप्त किये जा चुके है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार तथा वित्तीय सेवा विभाग, भारत सरकार द्वारा **महात्मा गांधी नरेगा योजना श्रमिकों के आधार नम्बर की सीडिंग, सहमति पत्र तथा इनका लिंकेज श्रमिकों के बैंक खातों से किये जाने के संबन्ध** में संदर्भित पत्र (प्रति संलग्न) **मानक संचालन प्रकिया (Standard Operating Procedure) विकसित** की है जिसके अनुरूप कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

उक्त **प्रकिया के चरण एवं विधि संलग्न कर** आपसे अनुरोध है कि **महात्मा गांधी नरेगा के नामित अधिकारी (परियोजना अधिकारी (लेखा) अथवा अधिशाषी अभियन्ता) एवं बैंक के Lead District Manager के साथ समन्वय** कर **ए.बी.पी.एस. के संबन्ध** में आवश्यक कार्यवाही दिनांक 15.04.2017 तक सुनिश्चित की जावे। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा नरेगा श्रमिकों के लिए आधार अनिवार्य किया गया है (प्रति संलग्न)।

भवदीय

संलग्नः उपरोक्तानुसार।

21.3.2017
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपिः

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
2. विशिष्ठ सहायक, माननीय राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
4. आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायतीराज।
5. शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
6. आयुक्त, ईजीएस।
7. मुख्यालय के समस्त अधिकारीगण।
8. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा, राजस्थान एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त।
9. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान बाडमेर।
10. विकास अधिकारी सह कार्यक्रम अधिकारी महात्मा गांधी नरेगा योजना राजस्थान, समस्त।
11. रक्षित पत्रावली।

परि.निदे. एवं संयुक्त सचिव, ईजीएस

M-[illegible]/2/2015-MGNREGA-V (344637)
Government of India
Ministry of Rural Development
(Mahatma Gandhi NREGA Division)

Krishi Bhawan, New Delhi
Dated: 14 March 2017

To

1. The Principal Secretary / Secretary / Commissioner (in charge of MGNREGA) of all State /Union Territories Governments
2. The Chairmen / MD of Public Sector Banks and Private Sector Banks (as per attached list)
3. The SLBC conveners of all State / Union Territories

Subject: Standard Operating Procedure (SOP) for expediting Aadhaar seeding in bank accounts of Mahatma Gandhi NREGA workers

Sir/ Madam,

Please refer to the letter of the Ministry of Rural Development (MoRD) letter dated 9th January 2017, co-signed by Joint Secretary, Department of Financial Services (DFS), regarding the need for expediting Aadhaar seeding in bank accounts of Mahatma Gandhi NREGA (MNREGA) workers.

2. The matter has been reviewed regularly with banks jointly by MoRD and DFS. However, the progress made in seeding Aadhaar numbers in bank account has been slow. There is considerable gap between the Aadhaar numbers seeded in MGNREGA MIS (8.98 crore) and ABP conversion (4.33 crore).

3. Many instances of non-receipt of consent forms have been reported by banks / SLBC convener offices. Reconciliation of the numbers of consent forms reported by MGNREGA functionaries as deposited with banks, and the numbers reported as received by banks, has not proved practicable due to the absence of a standard operating procedure adopted both by MGNREGA functionaries and banks across States.

4. In order to address the above issue and expedite Aadhaar seeding and ABP conversion, the enclosed standard operating procedure (SOP) has been worked out. This incorporates the process flow for obtaining, submitting and updating Aadhaar seeding consent forms of MGNREGA workers and the seeding of their Aadhaar number in their bank accounts.

5. You are requested to communicate the SOP to all concerned, both on the MGNREGA and the banking sides, for strict observance.

Yours faithfully,

14/3/17

(Amit Agrawal)
Joint Secretary
Department of Financial Services

Yours faithfully,

(Aparajita Sarangi)
Joint Secretary
Ministry of Rural Development

14/3/17

Encl: as above

O/c
Issued
15/3/17

Copy, with enclosure, to:

1. Secretary, Department of Financial Services, Government of India
2. Secretary, Ministry of Rural Development, Government of India
3. Joint Secretary (DBT Mission), Government of India, Cabinet Secretariat, New Delhi
4. Chief Secretaries of all States and the Union Territories of NCT Delhi, Puducherry and Andaman & Nicobar Islands
5. Administrators of the Union Territories of Daman & Diu, Dadra and Nagar Haveli, Lakshadweep and Chandigarh
6. CEO, Indian Banks' Association with the request to communicate this to the remaining member banks

Process Flow of Aadhaar Seeding in Consumer Accounts

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 18] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 4, 2017/पौष 14, 1938
No. 18] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 4, 2017/PAUSA 14, 1938

ग्रामीण विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2017

का.आ. 19(अ).—सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए बहुल दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है ;

और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का 42) के उपबंधों के अधीन प्रारंभ किए गए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (जिसे इसमें इसके पश्चात् महात्मा गांधी नरेगा कहा गया है) में भारत की संचित निधि से उपगत होने वाला व्यय अंतर्वलित है ;

अत: अब, केंद्रीय सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित अधिसूचित करता है, अर्थात् :--

1. (1) महात्मा गांधी नरेगा के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यष्टियों से यह अपेक्षित है कि वे आधार संख्या को रखने का सबूत प्रस्तुत करें या आधार अधिप्रमाणन प्रक्रिया पूरी करें ।

(2) महात्मा गांधी नरेगा के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी ऐसे व्यष्टि को, जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, तारीख 31 मार्च, 2017 तक आधार नामांकन हेतु आवेदन करना होगा, परंतु उस दशा में जब वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार हो और ऐसे व्यष्टि

आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केंद्र (केंद्रों की सूची यूआईडीएआई की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) का दौरा कर सकेगा ।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार, राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के अधीन ग्रामीण विकास विभाग या पंचायती राज (महात्मा गांधी नरेगा का प्रभारी) से यह अपेक्षित है कि वे ऐसे फायदाग्राहियों के लिए, जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराएं और उस दशा में जहां संबंधित ब्लाक या तालुक या तहसील के भीतर आधार नामांकन केन्द्र अवस्थित नहीं है, वहां ग्रामीण विकास विभाग या पंचायती राज (महात्मा गांधी नरेगा का प्रभारी) यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रारों के समन्वयन से सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करा सकेंगे या स्वयं यूआईडीएआई रजिस्ट्रार बनकर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध करा सकेंगे :

परंतु उस समय तक जब तक किसी व्यष्टि को आधार समनुदेशित किया जाता है, उसे निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए उक्त अधिनियम के अधीन कार्य करने की अनुज्ञा दी जाएगी, अर्थात् :--

(क) महात्मा गांधी नरेगा के अधीन जारी कार्य कार्ड ;

(ख)(i) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसकी आधार नामांकन पहचान स्लिप; या

(ii) पैरा 2 के उप पैरा (2) में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार, आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति ;

(ग) (i) भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र; या (ii) राशन कार्ड ; या (iii) मोटर यान अधिनियम, 1988 के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या (iv) किसी राजपत्रित अधिकारी या तहसीलदार द्वारा उसके शासकीय पत्र पर जारी ऐसे सदस्य का कोई पहचान प्रमाणपत्र, उसके फोटो सहित; या (v) किसान फोटो पासबुक ; या (vi) किसी राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज :

परंतु यह और कि पूर्वोक्त दस्तावेजों की जांच, राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट रूप से अभिहित किसी अधिकारी द्वारा की जाएगी ।

2. (1) उक्त अधिनियम के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत कर्मकारों के लिए सुविधाजनक और निर्बाध हकदारियां उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण विकास विभाग या पंचायती राज (महात्मा गांधी नरेगा का प्रभारी) सभी अपेक्षित व्यवस्थाएं करेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, अर्थात् :--

(2) मीडिया और व्यष्टिक सूचनाओं के माध्यम से आवेदकों या फायदाग्राहियों के बीच व्यापक प्रचार किया जाएगा ताकि उन्हें महात्मा गांधी नरेगा के अधीन कार्य करने के लिए आधार की अपेक्षा के संबंध में जागरूक बनाया जा सके । उन्हें उनके क्षेत्रों में उपलब्ध निकटतम नामांकन केन्द्रों में तारीख 31 मार्च, 2017 तक स्वयं का नामांकन कराने की सलाह दी जा सकेगी । स्थानीय रूप से उपलब्ध नामांकन केन्द्रों की सूची उन्हें उपलब्ध कराई जाएगी ।

(3) फायदाग्राहियों के, उनके आस-पास नामांकन केंद्रों के उपलब्ध न होने के कारण नामांकन में असमर्थ होने की दशा में, राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के ग्रामीण विकास विभाग या पंचायती राज (महात्मा गांधी नरेगा का प्रभारी) से यह अपेक्षित होगा कि वे सुविधाजनक अवस्थानों पर नामांकन सुविधाओं का सृजन करें तथा आवेदकों या फायदाग्राहियों से, अपने कार्य कार्ड संख्या, पते, बैंक खातों के ब्यौरों, मोबाइल नंबर आदि जैसे अपने अन्य ब्यौरों के साथ अपने नामों को पोर्टल पर रजिस्टर करने का अनुरोध किया जा सकेगा और ऐसे अनुरोधों को ग्राम पंचायत या ब्लाक कार्यालय के साथ भी रजिस्टर किया जा सकेगा ।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों को छोड़कर उसके प्रकाशन की तारीख से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में प्रभावी होगी :

परंतु अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें अधिसूचित की जा सकेंगी ।

[सं. के-11011/1/2016-आरई-1(350117)]

अपराजिता मारंगी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd January, 2017

S.O. 19(E).—Whereas, the use of Aadhaar as identity document for delivery of services or benefits or subsidies simplifies the Government delivery processes, brings in transparency and efficiency, and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner and Aadhaar obviates the need for producing multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Programme (hereinafter referred to as the Mahatma Gandhi NREGA) launched under the provisions of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (42 of 2005) involves expenditure incurred from the Consolidated Fund of India;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government in the Ministry of Rural Development hereby notifies the following, namely:—

1. (1) An individuals registered under the Mahatma Gandhi NREGA are hereby required to furnish proof of possession of Aadhaar or undergo Aadhaar authentication.

(2) Any individual registered under the Mahatma Gandhi NREGA who is not yet enrolled for Aadhaar shall have to apply for Aadhaar enrolment by 31st March, 2017, and in case she or he is entitled to obtain Aadhaar as per the provisions of section 3 of the said Act, such individuals may visit any Aadhaar enrolment centre (list available at (www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department of Rural Development or Panchayati Raj, (In-charge MGNREGA) under the State Government or Union Territory Administrations is required to offer enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there are no Aadhaar enrolment centers located within the respective Block or Taluk or Tehsil, the said Department of Rural Development or Panchayati Raj (In-charge MGNREGA) may provide enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or may provide Aadhaar enrolment facilities by becoming UIDAI Registrar:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, she or he shall be allowed to work under the said Act subject to the production of the following documents, namely:-

(a) job card issued under Mahatma Gandhi NREGA;

(b)(i) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment ID slip; or

(ii) a copy of his request made for Aadhaar enrolment, as specified in sub-paragraph (2) of paragraph 2;

(c) (i) the voter identity card issued by the Election Commission of India; or (ii) ration card; or (iii) the driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988; or (iv) the certificate of identity having photo of such member issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or (v) the Kisan passbook with photo; or (vi) any other document specified by the State Government:

Provided further that the aforesaid documents shall be checked by an officer specifically designated by the State Government.

2. (1) In order to provide convenient and hassle free entitlements to the registered workers under the provisions of the said Act, the Department of Rural Development or Panchayati Raj (In-charge MGNREGA) shall make all the required arrangements including the following, namely:—

(2) Wide publicity through media and individual notices shall be given to applicants or beneficiaries to make them aware of the requirement of Aadhaar to work under Mahatma Gandhi NREGA. They may be advised to get themselves enrolled at the nearest enrolment centres available in their areas by 31st March, 2017. The list of locally available enrolment centres shall be made available to them.

(3) In case, the beneficiaries are not able to enrol due to non-availability of enrolment centres in the vicinity, the Department of Rural Development or Panchayati Raj (In-charge MGNREGA) of States Government or Union Territory Administrations is required to create enrolment facilities at the convenient locations and the applicants or beneficiaries may be requested to register their request for enrolment by giving their names with other details, such as, Job card number, address, Bank Account details, mobile number, etc., on a portal and such requests may also be registered with the Gram Panchayat or Block Office.

3. This notification shall come into effect from the date of its publication in the States and Union Territories except the States of Assam, Meghalaya, and the State of Jammu and Kashmir:

Provided that different dates may be notified for the States of Assam, Meghalaya, and the State of Jammu and Kashmir.

[No. K-11011/1/2016-RE-I(350117)]

APARAJITA SARANGI, Jt. Secy.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2017.01.05 17:59:46 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.